अतिरिक्त सहायता

यह परचा उन बच्चों और जवान लोगों के लिए है, जिन्हें स्कूल में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है ।

क्या आपको अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है?

कुछ बच्चों को स्कूल में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। आपको अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है यदि आप को सीखने, समझने या याद रखने में समस्या है । यदि अंग्रेजी आपकी प्रथम भाषा न हो तो आपको सहायता की आवश्यकता हो सकती है । आपको शायद सहायता की आवश्यकता हो यदि आप अपाहिज हों या घर पर समस्याएं हों । कारण कोई भी हो, आप के स्कूल को आप को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए ।

मैं कैसे बता सकता/सकती हूँ?

आपके माता-पिता स्कूल से यह पूछ सकते हैं कि यदि उनके अनुसार आपको अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है ।

मेरे स्कूल को क्या करना चाहिए?

यदि आप को स्कूल में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो तो आपके स्कूल को यह निश्चत करने की कोशिश करनी चाहिए कि आप को अतिरिक्त सहायता प्राप्त हो । आप के अध्यापक आप को सहायता देने के योग्य होंगे या आप स्कूल में और स्टाफ से भी अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।

कभी-कभी इस का अर्थ है कि आप दूसरे लोगों से भी अतिरिक्त सहायता का प्रबन्ध कर सकेंगे-जैसे नर्से, चिकित्सक, शिक्षा से सम्बन्धित मनोवज्ञानी और सोशल वर्कर आदि ।

कुछ बच्चे जिन्हें अपने शिक्षा के सम्बन्ध में दूसरे लोगों से सहायता की आवश्यकता होती है, के पास को-आर्डीनेटड सपोर्ट पलैन या (सी ऐस पी) हो सकता है । एक सी ऐस पी यह बताती है कि आप को अतिरिक्त सहायता क्यों चाहिए, किस किस्म की सहायता चाहिए और किस से सहायता चाहिए ।

यदि मैं सहायता प्राप्त नहीं कर पाता/पाती तो क्या होगा?

यदिआ आप को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है और आप को यह प्राप्त नहीं होती तो आप को अपने माता-पिता से बात करनी चाहिए कि वह हैड-टीचर या किसी शिक्षा से सम्बन्धित अफसर से बात करें । कभी-कभी कोई व्यक्ति जिसे मध्यस्थ कहा जाता है, भी आप की सहायता कर सकता है ।

यदि अभी भी कोई समस्या हो तो आप के माता-पिता शिक्षा से सम्बन्धित किसी माहिर से आप के स्कूल को सलाह देने के लिए कह सकतें हैं कि आप की सहायता करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए ।

यदि आप के पास सी ऐस पी हो तो, आप के माता-पिता तीन व्यक्तियों से जो शिक्षा के सम्बन्ध में जानतें हैं (जिसे ट्रिब्यूनल कहा जाता है), से अपील कर सकतें हैं जो यह निश्चय कर सकतें हैं कि आप को किस तरह की सहायता की आवश्यकता है । ट्रिब्यूनल पहली ही सूरत में यह बता सकता है कि यदि आप को सी ऐस पी की आवश्यकता है अथवा नहीं ।

यह परचा एजुकेशन लॉ यूनिट की तरफ से लिखा गया है ।

एजूकेशन लॉ यूनिट,
Govan Law Centre,
47 Burleigh Street,
Glasgow G51 3LB
टैलीफोन/टैक्सट:0141 445 1955
फैक्स: 0141 445 3934
ई-मेल: advice@edlaw.org.uk
वैब: www.edlaw.org.uk

आप यहाँ से जानकारी ले सकतें हैं:

एनक्वाइर: 0845 123 2303
www.enquire.org.uk

सकाटिश चाईलड ला सैंटर
0800 328 8970
(18 साल से कम)
www.sclc.org.uk

रिसपैक्ट मिडिएशन
mediation@edlaw.org.uk

Hindi

स्कूल में अतिरिक्त सहायता प्राप्त करना

यदि आप को स्कूल में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है तो कानून का मानना है कि यह आप को प्राप्त करनी चाहिए ।